रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062022-236198
CG-DL-E-01062022-236198

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2373] नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2022/ज्येष्ठ 11, 1944
No. 2373] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2022/JYAISHTHA 11, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2022

का.आ. 2500(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में निम्नलिखित व्यक्तियों से मिल कर बनने वाले राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है,अर्थात् :-

1.	श्री अरविंद मेहता, आईएएस (सेवानिवृत्त) ई-1 महारानी बाग, नई दिल्ली (भारत)	अध्यक्ष
2.	डॉ. एस.एस. सामंत, निदेशक एचएफआरआई, कोनिफर कैंपस, पंथाघाटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश-171013	सदस्य
3.	निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171001	सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त राजपत्र की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों पर अपना विनिश्चय लेगा।

5. केंद्रीय सरकार, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के परामर्श में प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश की सहायता करने के प्रयोजन के लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् एसईएसी, हिमाचल प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं, अर्थात्: -

1.	डॉ संदीप भटनागर, आईएएस (सेवानिवृत्त), हाउस नंबर 45, सेक्टर -4, चंडीगढ़	अध्यक्ष
2.	डॉ. सतीश कुमार भारद्वाज, प्रो. और प्रमुख, पर्यावरण विज्ञान विभाग, वानिकी कॉलेज, डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी-173230, जिला, सोलन, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
3.	डॉ. हरीश शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (सेवानिवृत्त), हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वीपीओ फागू, शिमला, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
4.	डॉ. आर.सी. चौहान, (सेवानिवृत्त) प्रोफेसर (पर्यावरण विज्ञान) जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान विभाग, बेसिक साइंस कॉलेज हिमाचल प्रदेश, कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर-176062	सदस्य
5.	डॉ अश्विनी टपवाल, वैज्ञानिक ई, वानिकी और जैव-संसाधन, हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान, शंकुधारी परिसर, पंथाघाटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
6.	डॉ. रणबीर सिंह राणा, प्रधान वैज्ञानिक, (कृषि विज्ञान) भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, सीएसके पालमपुर, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
7.	इंजीनियर परवीन गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और मुख्य पर्यावरण अभियंता (एसपीसीबी), शिमला-171001	सदस्य-सचिव

6. एसईएसी, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे।

7. एसईएसी, हिमाचल प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उक्त राजपत्र अधिसूचना में यथा-विनिर्दिष्ट ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

8. एसईएसी, हिमाचल प्रदेश सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

9. हित के किसी विरोध से बचने के लिए, -

(क) प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश और एसईएसी, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य, उस परामर्शदाता संगठन को घोषित करेगा वे परियोजना के प्रस्तावकों के साथ भी जुड़े रहे हैं ;

(ख) प्राधिकरण,हिमाचल प्रदेश और एसईएसी, हिमाचल प्रदेश, के अध्यक्ष और सदस्य,परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण (ईआईए) पर्यावरण प्रबंधन योजना, तैयारी के साथ कोई परामर्श या सहयोग नहीं करेंगे जिसे उनके कार्यकाल दौरान प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश और एसईएसी, हिमाचल प्रदेश द्वारा अंकन किया जाना है; और

(ग) यदि पिछले पाँच वर्षों में, प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश और एसईएसी, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष या सदस्यों में से कोई भी, किसी भी परियोजना के प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है या पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन प्रदान करता है, उस घटना में ऐसे प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के अंकन की प्रक्रिया में वे खुद को प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश और एसईएसी, हिमाचल प्रदेश की बैठकों से हटा देंगे ।

10. हिमाचल प्रदेश सरकार, प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश और एसईएसी, हिमाचल प्रदेश के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सचिवालय सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

11. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश और एसईएसी, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक की फीस, यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

[फा.सं. आईए3-1/4/2022—आईए.III]

डा. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2022

S.O. 2500(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the erstwhile Ministry of Environment and Forests, *vide* number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Authority, Himachal Pradesh) consisting of the following persons, namely:-

1.	Shri Arvind Mehta, IAS (Retd.) E-1 Maharani Bagh, New Delhi (India)	Chairman
2.	Dr. S.S. Samant , Director HFRI, Conifer Campus, Panthaghati, Shimla, Himachal Pradesh-171013	Member
3.	Director, Department of Environment, Science and Technology, Government of Himachal Pradesh, Shimla-171001	Member-Secretary

2. The Chairman and Members of the Authority, Himachal Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Himachal Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Himachal Pradesh shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee, constituted under paragraph 5.

5. For the purposes of assisting the Authority, Himachal Pradesh, the Central Government, in consultation with the State Government of Himachal Pradesh, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as the SEAC, Himachal Pradesh) consisting of the following Members, namely:-

1.	Dr. Sandeep Bhatnagar, IAS (Retd.), House No. 45, Sector-4, Chandigarh	Chairman
2.	Dr. Satish Kumar Bhardwaj, Prof. and Head, Department of Environment Science, College of Forestry, Dr. Y.S Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni-173230, Distt. Solan, Himachal Pradesh	Member
3.	Dr. Harish Sharma, Principal Scientific Officer (Retd.), Himachal Pradesh State Pollution Control Board, VPO Fagu, Shimla. Himachal Pradesh	Member
4.	Dr. R.C. Chauhan, (Retd.) Professor (Environmental Science) Department of Biology and Environmental Sciences, College of Basic Science Himachal Pradesh, Agriculture University, Palampur-176062	Member
5.	Dr. Ashwani Tapwal, Scientist E, Forestry and Bio-resource, Himalayan Forest Research Institute, Conifer Campus, Panthaghati, Shimla, Himachal Pradesh	Member
6.	Dr. Ranbir Singh Rana, Principal Scientist, (Agronomy) Centre for Geo-informatics Research and Training, CSK Palampur, Himachal Pradesh	Member
7.	Er. Parveen Gupta, Addl. Director, Department of Environment, Science and Technology and Chief Environment Engineer (SPCB), Shimla-171001	Member-Secretary

6. The Chairman and Members of SEAC, Himachal Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Himachal Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC, Himachal Pradesh shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. In order to avoid any conflict of interest –

(a) the Chairman and Member of the Authority, Himachal Pradesh and SEAC, Himachal Pradesh shall declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) the Chairman and Member of the Authority, Himachal Pradesh and SEAC, Himachal Pradesh shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environmental Impact Assessment (EIA) Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Himachal Pradesh and SEAC, Himachal Pradesh during their tenure; and

(c) if in the preceding five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Himachal Pradesh and SEAC, Himachal Pradesh have provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, in that event they shall recuse

themselves from the meeting of the Authority, Himachal Pradesh and SEAC, Himachal Pradesh in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. The Government of Himachal Pradesh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Himachal Pradesh and SEAC, Himachal Pradesh and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

11. The siting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Member of the Authority, Himachal Pradesh and SEAC, Himachal Pradesh shall be paid as per the rules of the State Government of Himachal Pradesh.

[F. No. IA3-1/4/2022-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA